कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम–03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बनवारी लाल सर्वा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर राबाउप्रावि सांसी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर को राबामावि सांसी कॉलोनी, रातानाड़ा जोधपुर में क्रमोन्नति के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी–4/25605/2020–21/254 दिनांक 08.03.2021 में अंकित शाला के लिए पद व राशि का आवंटन किया गया है । संलग्न आदेश में वर्णित विद्यालय के संस्था प्रधान को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित करता हूँ । सम्बन्धित संस्था प्रधान समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा इनको विशेष रूप से निम्नांकित कार्य के लिए अधिकृत करता हूँ :–

1. राजकोष में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं के तथा अपने कार्यालय के राजपत्रित /अराजपत्रित कर्मचारियों के निजी भुगतानों (वेतन एवं भत्ते) के बिलों पर हस्ताक्षर आहर्ता अधिकारी के रूप में करना ।
2. उपरोक्त प्रकार के आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
3. उनके द्वारा इस प्रकार से आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक राशि का व्यय करना ।
5. वित्तीय नियमों एवं समय –समय पर जारी किये गये आदशों के अनुसार आकस्मिकताओं पर आवर्तक व्यय करना ।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को छोड़कर) आकस्मिक व्यय करने हेतु निधि प्रेषित करने के लिए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना ।
7. उचित प्राप्तकर्त्ताओं को ऐसे प्रभारों के भुगतान किये जाने को प्रमाणित करना तथा उनको सत्यापन की साक्षी में रोकड़ पुस्तिकाओं से सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
8. कोषाधिकारी को बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति एवं अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे ।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियमों के अध्याय 10 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के क्रमांक–2 के तहत इन्हे स्वयं के यात्रा बिलों के अलावा कार्यालय के उपरोक्त (1) में अंकित अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा बिलों के लिए भी नियंत्रण अधिकारी बनाया जाता है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2020–21 — दिनांकः 09.03.2021

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25605/2020-21/254 दिनांक - 8/03/2021

1. प्रधानाध्यापक,
राउप्रावि, छींपा कॉलोनी,
कागडी, जोधपुर

2. प्रधानाध्यापक,
राबामावि, सासी कॉलोनी,
रातानाडा, जोधपुर

विषयः- राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांसी कॉलोनी, रातानाड़ा जोधपुर को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप पद एवं प्रावधान का आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21

प्रसंग :- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 305 दिनांक 29.10.2020 एवं 23 दिनांक 04.11.2020 एवं राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प.11(1) शिक्षा-1/2019 जयपुर दिनांक 14.12.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा-मा/माध्य/ अ-4/क्रमोन्नति/रामावि/21306/2019-20 दिनांक 12.01.2021

---0---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में राज्य सरकार एवं इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेशों द्वारा रामावि, छींपा कॉलोनी, कागडी, जोधपुर को पुन: राउप्रावि स्तर पर यथावत संचालन करने तथा उक्त विद्यालय के स्थान पर राबाउप्रावि, सांसी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के कारण इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 305 दिनांक 29.10.2020 के क्रम संख्या 356 व 356 पर एवं समसंख्यक पत्रांक 23 दिनांक 04.11.2020 के क्रम संख्या 185 पर आवंटित पदो का आवंटन रामावि, छींपा कॉलोनी, कागडी, जोधपुर के स्थान पर राबामावि, सासी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर को आवंटित पढा जावे।

इस क्रम मे राबामावि, सासी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर को IFMS पर आईडी 36362 का आवंटन करके पदो का आवंटन जारी कर दिया गया है।

आवंटन आदेशो की शेष शर्ते यथावत रहेगी। राबामावि, सासी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर को निम्नानुसार लेखामदो मे 01-संवेतन मे वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राशि का आवंटन किया जाता है -

लेखामद	01-संवेतन में आवंटित राशि (रूपयो में)
2202-02-109-01-00 राज्य निधि	700000
2202-02-109-27-01 राज्य निधि	100000
2202-02-789-01-01 राज्य निधि	100000

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25605/2020-21/254 दिनांक -8/3/2021

प्रतिलिपि:-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सिस्टम एना. (स. निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्य), कार्यालय हाजा को प्रासंगिक आदेशों के क्रम मे।
5. उप निदेशक, माध्यमिक/ योजना अनुभाग।
6. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग,
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा,
8. लेखाधिकारी, पेंशन स्थिरीकरण अनुभाग कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त विद्यालयो को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की कार्यवाही करावे।
9. अनु. अधि., शाला दर्पण अनु., कार्यालय हाजा को शाला दर्पण मे आवश्यक इन्द्राज करवाने हेतु।
10. प्रभारी, बी-1/बी-2/बी-5 प्रभाग, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रभाग (बजट अनुभाग), कार्यालय हाजा को IFMS पर ऑनलाईन करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर